

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-29/2018/649 /दो-2-2018-28/2(7)/2018
लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2018
आदेश

श्री रामकेर यादव, पी0सी0एस0-2007 के भविष्य निधि खाता संख्या-आर0वी0यू0-35452 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री रामकेर यादव, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-16/मिलान डायरी-78/18591/31757 दिनांक 30-06-2017 के अनुसार वर्ष 2015-2016 तक कुल जमा धनराशि रू0-35,10,225/- (रू0-पैंतीस लाख दस हजार दो सौ पच्चीस मात्र) जिसमें माह 3/16 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-31,59,202.05 अर्थात रू0-31,59,202.00 (रूपये इक्त्तीस लाख उनसठ हजार दो सौ दो मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री रामकेर यादव के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री रामकेर यादव,से0नि0,पी0सी0एस0, तत्कालीन नगर मजिस्टेट, बुलन्दशहर के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर ।
- 4- श्री रामकेर यादव, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-3/87, विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।